

फर्द अहकाम

न्यायालय _____ उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)

हरफूल बनाम रामोत्तम कौटिल

फर्दमा संख्या / वर्ष 82/2020 : प्रार्थनापत्र/20

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
312-20		<p>वकुलप 30 नैरोक सत्मा 30। आप्रार्थी सं. 1,2 की तफ से जबक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। पत्रावली को जवाब लेकर दिनांक 28-1-20 को पेश हो तक तक पूर्व आदेश प्रतीती रहेगा।</p>	
281-21		<p>उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) वकुलप 30 प्रो. का सत्मा उपरोक्त प्रार्थना पत्र (पुनी गणी धुनि प्रकरण में दिनांक 9-7-20 को अन्तर्गम आस्थापी निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। अतः दोनों पक्षों को तत्काल शून्य वाद आस्थापी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे क्रम. 369, 370, 378, 379, 380, 381, 382 को जवाब बागावात अहीरान तहसील विराटनगर मोडे व राजस्व रिवाइ को यथास्थिति वगैरे शेष काले कायत व उपयोग उपयोग में भजाइमत नाकरें। पत्रावली प्रार्थना स्वीकार कर दिनांक 10/1/20 को पत्रावली फेरल शुद्ध होकर दायित दफ्तर हो नम्बर से काम हो</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>